<u>अतिआवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 25(06)सा.प./2013/ दिनांक –

समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान
समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान

विषयः–अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना हेतु आयोजित कैम्प बाबत।
संदर्भः–आयुक्तालय का पत्र क्रमांक एफ 25(06)सा.प./2013 राजकाज रेफ्रेन्स संख्या 4275696 दि0 13.7.23 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व में आडिट कैम्प दिनांक 17.7.23 से 11.8.23 तक आयोजित किया गया था।

उक्त कैम्प में विभिन्न महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपस्थित होकर आक्षेपों का निस्तारण करवाने हेतु प्रमाणित दस्तावेत आयुक्तालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रस्तुत कर महालेखाकार व निरीक्षण विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को साक्ष्य एवं दस्तावेजों (प्राचार्य महाविद्यालय की सील द्वारा अद्यतन सत्यापित) के आधार पर टिप्पणी अंकित कर निस्तारण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया प्रतिपादित की जा रही है।

अतः शेष बचे महाविद्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों कि उस समय साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अभाव में आक्षेपों का निस्तारण नहीं करवा पाये है एवं कुछ महाविद्यालय उक्त अवधि में उपस्थित नहीं हो पाये है उनको एक अन्तिम अवसर देत हुए कैम्प की अवधि दिनांक 16.8.23 से 28.8.23 तक बढाई जाती है। कैम्प में महालेखाकार कार्यालय एवं निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधि तत्समय टिप्पणी करते हुए आक्षेपों को निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को प्रस्तावित कर रहे है।

आपके कार्यालय/महाविद्यालय से संबंधित लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण एवं नवीनतम अनुपालाना तैयार कर दो प्रतियॉ मय समर्थित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं अंकेक्षण पत्रावली सहित संबंधित महाविद्यालय के लेखाकर्मी (लेखाकर्मी के अभाव में कार्य संबंधित कार्मिक) को दिनांक 16.8.23 से 28.8.23 तक आयुक्तालय के चिंतन सभागार में प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करावें। उक्त कैंप में अपूण्र एवं सारहीन अनुपालना स्वीकार नहीं की जावेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा। अनुपालना के निस्तारण हेतु अपेक्षित कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट टिप्पणी कर, टिप्पणी के नीचे व समर्थित साक्ष्यों पर प्राचार्य महाविद्यालय की सील द्वारा सत्यापित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 25(06)सा.प./2013/ दिनांक –

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त निदेशक (HRD/PI/P&C/Adm./DDO) कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर भी उनकी शाखा से संबंधित लंबित आक्षेपों की अनुपालना निर्धारित प्रारूप में भिजवाये।
3 निदेशक निरीक्षण विभाग, वित्त भवन राज. जयपुर को उक्त तिथि हेतु प्रतिनिधि भेजने हेतु।
4 लेखाधिकारी (अंकेक्षण) कैम्प प्रभारी रहेगी तथा महालेखाकार व निरीक्षण विभाग के आक्षेपों का नियंत्रण रजिस्टर भी संधारित करावें।
5 प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6 समस्त लेखा शाखा कार्मिक ऑडिट कैम्प में उपस्थित होकर उक्त कार्य को संपादित करावे।
7 केयर–टेकर कॉलेज शिक्षा, जयपुर को आयोजित कैम्प हेतु चिंतन/मंथन सभागार उपलब्ध करवाने एवं बैठक व जलपान आदि व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.16 18:37:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4521183